संख्या-50/2021/1667जेएल/22-3-2021-100(82)/2015टी0सी0

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2021*

विषय- जिला कारागार ललितपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी खान मुबारक पुत्र स्व0 रजी आलम को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30194/सामा-1(3)/लखनऊ/2020, दिनांक 15-09-2021 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार ललितपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी खान मुबारक पुत्र स्व0 रजी आलम को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-50/2021/1667जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर एवं फर्रूखाबाद।
4- पुलिस अधीक्षक, ललितपुर एवं फर्रूखाबाद।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ ।
6- अधीक्षक, जिला कारागार ललितपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी के केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में स्थानान्तरित/दाखिल होने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in